

नगरीय विकास

13

नगरीय विकास

मुख्य बिन्दु

- ग्रामों से नगरों की ओर जनसंख्या का आना अर्थव्यवस्था में विकास की कुंजी तथा शहरों की संख्या में वृद्धि सम्पन्नता को बढ़ाती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, आवास, यातायात, दूरसंचार इसके मूल तत्व हैं। वर्ष 1951 में जहाँ शहरीकरण 4.88 प्रतिशत (3.64 लाख) था, यह वर्ष 2011 में बढ़कर 23.24 प्रतिशत (59.37 लाख) हो गया है।
- शहरी क्षेत्र में नागरिक सुविधाओं हेतु संचालित योजनाएं – पौनी पसारी योजना मुख्यमंत्री मितान योजना, मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना, श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, सरोवर धरोहर योजना, ज्ञानस्थली योजना, उन्मुक्त खेल मैदान योजना, पुष्प वाटिका उद्यान योजना, राजीव गाँधी स्वावलंबन योजना, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, मुक्तिधाम निर्माण योजना, हाट-बाजार समृद्धि योजना, साँस्कृतिक भवन योजना, भागीरथी नलजल योजना, स्मार्ट सिटी मिशन, मिशन क्लीन सिटी इत्यादि।
- “मुख्यमंत्री मितान योजना” की शुरुआत प्रदेश के समस्त 14 नगर निगमों में की गई है।
- स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 अवॉर्ड के लिए छत्तीसगढ़ के 5 शहर रायपुर, पाटन, कुम्हारी, आरंग, महासमुंद को पुरस्कृत किया गया।
- अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) में जनगणना 2011 के अनुसार 01 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश के 09 नगरीय निकाय रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, अंबिकापुर, जगदलपुर, रायगढ़ एवं कोरबा सम्मिलित हैं।

नगरीय विकास

विश्व तीव्रगति से शहरीकृत होता जा रहा है जिसके परिणाम स्वरूप मानव सभ्यता अधिकाधिक नगरीय सभ्यता बनती जा रही है। मानव सभ्यता की प्रवृत्ति ग्रामों से शहरों की ओर जाने की है। अर्थव्यवस्था के पैमाने के अनुसार उच्च जनसंख्या एवं जनसंख्या घनत्व लेन-देन का व्यय कम करता है तथा सेवाओं को सस्ता बनाता है। बड़े शहरों में आनुपातिक रूप से प्रवर्तन, उत्कर्ष, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन अधिक होता है।

तालिका 13.1 छत्तीसगढ़ में शहरीकरण की गति							
मद	1951	1961	1971	1981	1991	2001	2011
कुल जनसंख्या (लाख)	74.57	91.54	116.37	140.1	176.15	208.34	255.45
दशकीय जनसंख्या कुल वृद्धि दर	9.42	22.77	27.12	20.39	25.73	18.27	22.61
शहरी जनसंख्या (लाख)	3.64	7.63	12.08	20.58	30.65	41.86	59.37
दशकीय शहरी जनसंख्या वृद्धि दर		109.52	58.37	70.39	48.9	36.58	41.84
कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत	4.88	8.33	10.38	14.69	17.4	20.09	23.24
भारत की कुल जनसंख्या	3,611	4,392	5,482	6,833	8,464	10,287	12,109
भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर	13.31	21.64	24.8	24.66	23.87	21.54	17.7
भारत की शहरी जनसंख्या (लाख)	624	789	1,091	1,595	2,176	2,861	3,771
भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत	17.28	17.96	19.9	23.34	25.71	27.81	31.14

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ राज्य में नगरीय जनसंख्या न केवल छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या की वृद्धि से अधिक बढ़ रही है, बल्कि यह संपूर्ण देश के शहरी जनसंख्या वृद्धि से अधिक गति से बढ़ रही है। जहाँ वर्ष 1951 में कुल जनसंख्या का नगरीय भाग 5 प्रतिशत से भी कम था वहीं वर्ष 2011 की जनगणनानुसार इसमें 23 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई है। निरपेक्ष संख्या की दृष्टि से वर्ष 1951 में शहरी जनसंख्या केवल 3.64 लाख थी जो अब बढ़कर 2011 जनगणना के अनुसार 59.37 लाख हो गई है। यह वास्तव में शहरीकरण के मोर्चे पर उल्लेखनीय प्रगति है। तथापि यह ध्यान देने योग्य है कि शहरीकरण का स्तर (23.24 प्रतिशत 2011 जनगणना के अनुसार) देश के स्तर (31.23 प्रतिशत 2011 जनगणना अनुसार) से काफी कम है। यह मुख्यतः शहरीकरण के देर

से आरंभ होने, राज्य में कम औद्योगीकरण एवं गरीबी का स्तर उच्च होने इत्यादि के कारण हैं। गरीब अर्थव्यवस्था से अमीर अर्थव्यवस्था की ओर परिवर्तन ग्रामों से नगरों की ओर जनसंख्या के जाने की गति पर निर्भर करता है। राज्य में रायपुर—भिलाई पेट्री में सबसे तीव्र शहरीकरण देखा जा सकता है।

मूल निवास इकाइयों की श्रेणी एवं गुणवत्ता अर्थव्यवस्था की सफलता निर्धारित करती है। बड़ी उत्पादन इकाइयों को बहुत अधिक लोगों की आवश्यकता पड़ती है, जिससे सहायक गतिविधियाँ बढ़ जाती हैं, जिससे पुनः अधिक जनबल की आवश्यकता पड़ती है। किसी विशेष स्थान पर बहुत बड़ी जनसंख्या होने से भौतिक एवं सामाजिक आधारभूत सुविधा जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, आवास, यातायात, सड़कें, दूरसंचार, जलप्रदाय, स्वच्छता इत्यादि की अधिक मांग बढ़ती है।

सतत विकास लक्ष्य के लक्ष्य क्रमांक 11 के अंतर्गत भी शहर और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित लचनशील और चिरस्थायी बनाया जाना प्रस्तावित है। इसके तहत वर्ष 2030 तक प्राप्त किये जाने हेतु निम्नांकित लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं—

1. पर्याप्त, सुरक्षित और किफायती आवास और आधारभूत सेवाओं तक सभी के लिए पहुँच सुनिश्चित करना और मलिन बस्तियों का उन्नयन करना।
2. सड़क सुरक्षा में सुधार करते हुए, विशेषकर कमजोर स्थिति वाले लोगों, महिलाओं, बच्चों, विकलांग व्यक्तियों और वृद्ध व्यक्तियों की जरूरतों पर विशेष ध्यान देने के साथ सार्वजनिक परिवहन का विस्तार करके, सभी के लिए सुरक्षित, सस्ती, सुलभ और चिरस्थायी परिवहन व्यवस्था तक पहुँच प्रदान करना।
3. सभी देशों में समावेशी और चिरस्थायी शहरीकरण और सहभागी, एकीकृत और चिरस्थायी मानव बस्ती योजना और प्रबंधन के लिए क्षमता का संवर्धन करना।
4. विश्व की सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर की रक्षा और सुरक्षा करने के लिए प्रयासों का सुदृढ़ीकरण करना।
5. हवा की गुणवत्ता और नगर निगम और अन्य अपशिष्ट प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने सहित शहरों का प्रति व्यक्ति प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव कम करना।

6. विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों, बुजुर्गों और विकलांग व्यक्तियों के लिए सुरक्षित, समावेशी और सुलभ, हरित और सार्वजनिक स्थलों तक सार्वभौमिक पहुँच प्रदान करना।

छत्तीसगढ़ के नगरीय सामाजिक संकेतांकों की दृष्टि से तुलनात्मक उपलब्धियों को नीचे दर्शाया गया है, जो ग्रामीण क्षेत्र से बेहतर कार्य निष्पादन को भी दर्शाता है।

तालिका 13.2 छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य सूचकांक						
सूचकांक	2019-21			2019		
	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी
अशोधित जन्म दर				17.3	23.4	22.0
कुल प्रजनन क्षमता दर	1.4	1.9	1.8			
शिशु मृत्यु दर	26.2	48.7	44.3	31	40	38
5 साल के नीचे मृत्यु दर	28.9	55.8	50.4			
अशोधित मृत्यु दर				6.3	8.4	7.9
Source:- NFHS 2019-21				Source:- SRS 2020		

तालिका 13.3 जीवित जन्म 2008-21 संस्थागत प्रसव (सरकारी/गैर सरकारी अस्पताल) का प्रतिशत															
मद	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
कुल	35.2	40.3	47.4	54.1	63.3	66.5	71.8	57.9	50.7	59.2	73.8	80.5	88.0	86.7	86.2
ग्रामीण	30.7	35.9	43.0	50.3	60.5	64.0	68.2	47.6	40.0	52.3	37.7	40.5	85.7	83.2	80.4
नगरीय	65.6	68.9	76.9	79.2	81.7	83.3	85.2	73.9	72.2	73.4	36.1	40.0	90.4	89.9	91.6
Source : Annual Vital Statistics Report															

तालिका 13.4 मृत्यु 2008-21 संस्थागत (सरकारी/गैर सरकारी अस्पताल) का प्रतिशत															
मद	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
कुल	25.1	25.7	25.8	26.2	26.5	32.1	35.9	29.1	30.5	36.8	40.8	39.9	26.2	24.3	22.0
ग्रामीण	20.9	21.5	21.7	22.2	22.7	28.8	31.5	20.9	22.6	25.3	21.0	13.9	9.9	3.7	2.8
नगरीय	50.1	50.3	50.6	50.9	51.3	53.7	56.8	46.3	49.5	56.0	19.9	21.0	51.2	58.3	59.5
Source : Annual Vital Statistics Report															

13.1 नगरीय निकाय :-

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 'थ' के अधीन वृहत्तर नगरीय क्षेत्र, लघुतर नगरीय क्षेत्र तथा संक्रमणशील क्षेत्रों के लिए क्रमशः नगर पालिक निगम, नगर पालिका परिषद् तथा नगर पंचायत के गठन की व्यवस्था है। इस संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप प्रदेश में गठित नगरीय निकायों की संख्या निम्नानुसार है:-

संविधान के अनुच्छेद 243 'ब' के अधीन नगरीय निकायों को अनुसूची-XII में दर्शित दायित्वों का निर्वहन किया जाना है। नगरीय व्यवस्था के प्रबंधन एवं दायित्वों के

निर्वहन हेतु अनुच्छेद 243 'द' के अधीन प्रत्येक नगरीय निकाय हेतु जनता द्वारा चुनी गई नगर निगम/नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत की व्यवस्था है।

क्रं.	निकाय	संख्या
1	नगर पालिक निगम	14
2	नगर पालिका परिषद्	47
3	नगर पंचायत	122
	कुल	183

13.2 सामान्य या प्रमुख विशेषताएँ :—

13.2.1 वित्तीय प्रशासन :—

संविधान के अनुच्छेद 243 'भ' में करारोपण द्वारा राजस्व वसूली का अधिकार नगरीय निकायों को प्राप्त है। इस संवैधानिक व्यवस्था को छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 132 एवं 127 में क्रमशः स्थापित किया गया है। निकायों को शासन द्वारा चुंगी क्षतिपूर्ति अनुदान तथा यात्रीकर विशेष अनुदान का भुगतान मासिक तौर पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त निकाय स्तर पर मुख्य रूप से निम्नांकित कर अधिरोपित किए जाते हैं:—

1. संपत्ति कर
2. समेकित कर
3. जलकर
4. निर्यात कर

नगरीय क्षेत्रों में संपत्तिकर के निर्धारण एवं वसूली की प्रक्रिया में अनुभव की गई कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा संपत्तिकर के स्व-निर्धारण की प्रक्रिया नगरीय क्षेत्रों में लागू की गई है। इसके अंतर्गत संबंधित निकायों द्वारा क्षेत्रवार अधिसूचित वार्षिक भाड़ा मूल्य के आधार पर करदाता स्वयं उसके द्वारा धारित संपत्ति पर देय संपत्ति कर का आंकलन तथा तदनुसार स्व-निर्धारित राशि निकाय के कोष में जमा करता है।

शासन द्वारा संपत्तिकर के स्वनिर्धारण प्रक्रिया लागू करने के साथ ही सफाई कर, प्रकाश कर एवं अग्निकर के बदले वार्षिक भाड़ा मूल्य के आधार पर समेकित कर नगरीय क्षेत्रों में लागू किया गया है।

13.2.2 छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निधि :— प्रदेश में नगरीय निकायों के योजनाबद्ध विकास हेतु छत्तीसगढ़ नगर विकास निधि नियम, 2003 बनाया गया है। जिसके अध्यक्ष विभाग के माननीय मंत्री जी हैं।

नगर विकास निधि के अंतर्गत दो खातों, न्यागमन खाता एवं अधोसंरचना खाते का संधारण किया जाता है। न्यागमन खाते के अंतर्गत नियमित चुंगी क्षतिपूर्ति, यात्रीकर, मुद्रांक

शुल्क, बार लायसेन्स एवं अन्य क्षतिपूर्ति के अनुदान को शामिल किया जाता है, जिसे नगरीय निकाय द्वारा स्वविवेक से खर्च किया जाता है।

अधोसंरचना खाते के अंतर्गत नियमित चुंगी क्षतिपूर्ति के बाद शेष अतिरिक्त राशि, राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा, सड़क मरम्मत अनुरक्षण जैसे मद को शामिल कर निधि का निर्माण किया जाता है एवं इस राशि से निम्नानुसार कार्यों को संपादित किया जाता है:—

- सड़कों से संबंधित कार्य, जिसमें उनके मरम्मत कार्य भी सम्मिलित है।
- पेयजल योजना के लिए आवश्यक रकम में नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा उपलब्ध कराया जाने वाला अनुदान भी शामिल है।
- किसी विशेष योजना, जो राज्य शासन द्वारा लागू की गई है।
- कूड़ा-कचरा अपशिष्ट का प्रबंधन।
- नगरीय स्थानीय निकायों में मूलभूत सुविधाओं का विकास।

13.2.3 निर्वाचन :- 74 वें संविधान संशोधन के अनुरूप राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम तथा छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम में स्थानीय निकायों के समय-सीमा में निर्वाचन कराये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इस हेतु छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। यह आयोग छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निकायों के निर्वाचन के लिए अधिनियम के अंतर्गत स्वतंत्र एजेंसी के रूप में कार्यरत है।

13.2.4 मेयर/प्रेसीडेंट-इन कौंसिल की व्यवस्था :- निकायों के सामान्य कामकाज के संचालन में आने वाली कठिनाईयों को दूर करने के उद्देश्य से छ.ग. नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 के अंतर्गत नगर पालिक निगमों में मेयर-इन-कौंसिल तथा छ.ग. नगर पालिका अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अधीन नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों में प्रेसीडेंट-इन-कौंसिल के गठन की व्यवस्था की गई है। उक्त व्यवस्था के अनुसार संबंधित महापौर/अध्यक्ष द्वारा अपने विवेक के आधार पर निर्वाचित पार्षदों में से मेयर-इन-कौंसिल/प्रेसीडेंट-इन-कौंसिल का गठन करते हैं। नगर पालिक निगमों में कुल वार्डों की संख्या के आधार पर मेयर-इन-कौंसिल में सदस्यों की संख्या 20 प्रतिशत रखी गई है। नगरपालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों में प्रेसीडेंट-इन-कौंसिल में क्रमशः

7 सदस्य एवं 5 सदस्य रखे गये हैं। शासन द्वारा मेयर-इन-कौंसिल तथा प्रेसीडेंट-इन-कौंसिल हेतु निकायों के वित्तीय एवं प्रशासनिक कामकाज के संचालन के लिए नियम बनाए गए हैं तथा उन्हें विभिन्न शक्तियां भी सौंपी गयी है।

13.3 विभाग द्वारा संचालित प्रमुख राज्य प्रवर्तित योजनाएँ :-

13.3.1 नवीन सरोवर धरोहर योजना :- शहरी क्षेत्रों में स्थित तालाबों के पुनरोद्धार सौंदर्यीकरण एवं पर्यावरण सुधार की एकीकृत योजना। जलाशयों के संपूर्ण विकास हेतु आवश्यकतानुसार चरणबद्ध वित्तीय सहायता प्रदान करना। जलाशयों में दूषित जल के प्रवेश को रोकना तथा अतिक्रमण मुक्त कराना। परिसर में वृहद वृक्षारोपण संरक्षण ऐरियेशन से जल की सफाई पाथवे विद्युतीकरण सहित एवं महिला घाट का अनिवार्य प्रावधान। तालाब में मत्स्य पालन मूर्तियां एवं अन्य सामग्री का विसर्जन पूर्णतः प्रतिबंध। वित्तीय वर्ष 2020-21 में अद्यतन 32 परियोजनाओं हेतु राशि रु. 1,056.387 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्ष 2021-22 में 70 परियोजनाओं हेतु राशि रु. 3,356.628 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्ष 2022-23 में 74 परियोजनाओं हेतु राशि रु. 3,319.17 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी प्रकार वर्ष 2023-24 में 73 परियोजनाओं हेतु राशि रु. 2404.074 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है।

13.3.2 ज्ञानस्थली योजना :- शहरी क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों के जीर्णोद्धार तथा अतिरिक्त कमरों के निर्माण की योजना। प्राथमिक शाला के लिए 8.75 लाख रुपए, माध्यमिक शालाओं के लिए 13.70 लाख, उच्चतर माध्यमिक शालाओं के लिए 15.25 लाख तथा महाविद्यालय के लिए 18.24 लाख रुपये का प्रावधान। नगरीय निकायों को शत-प्रतिशत अनुदान। वर्ष 2021-22 में 08 परियोजनाओं हेतु राशि रु. 53.92 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्ष 2022-23 में 06 परियोजनाओं हेतु राशि रु. 57.19 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्ष 2023-24 में 23 परियोजनाओं हेतु राशि रु. 261.32 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है।

13.3.3 पुष्प वाटिका उद्यान योजना :- शहरी क्षेत्रों में रिक्त स्थानों एवं कालोनियों के बीच स्थित स्थानों को विकसित कर उद्यान बनाने की योजना। प्रति हेक्टेयर राशि रु. 37.00 लाख का प्रावधान। नगरीय निकायों को शत-प्रतिशत अनुदान योजनांतर्गत वर्ष 2016-17 में कुल 17 परियोजनाओं हेतु राशि रु. 746.15 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई

है। इसी प्रकार वर्ष 2017-18 में 44 परियोजनाओं हेतु राशि रु. 1,206.54 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्ष 2018-19 में 42 परियोजनाओं हेतु राशि रु. 504.84 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में 33 परियोजनाओं हेतु राशि रु. 1054.64 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में अद्यतन 10 परियोजनाओं हेतु राशि रु. 257.29 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्ष 2021-22 में 46 परियोजनाओं हेतु राशि रु. 960.179 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्ष 2022-23 में 59 परियोजनाओं हेतु राशि रु. 866.229 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी प्रकार वर्ष 2023-24 में 75 परियोजनाओं हेतु राशि रु. 1996.049 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है।

13.3.4 राजीव गाँधी स्वालंबन योजना:— असंगठित रूप से गुमटी-ठेले एवं फेरी लगाकर जीविकोपार्जन करने वाले परिवारों की आर्थिक उत्थान की योजना। प्रति गुमटी रु. 0.30 लाख का प्रावधान। नगरीय निकाय को शत-प्रतिशत अनुदान। योजनांतर्गत वर्ष 2017-18 में 19 परियोजनाओं हेतु राशि रु. 5.70 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजनांतर्गत अब-तक 3,714 गुमटियों हेतु राशि रु. 642.30 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है।

13.3.5 मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना :— नगरीय निकायों के बेरोजगार नवयुवकों तथा नवयुवतियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु दुकान/चबूतरा उपलब्ध कराने की योजना। बड़ी दुकानों के लिए रु. 1.18 लाख तथा रु. 0.98 लाख की लागत से छोटी दुकान एवं रु. 6,500.00 की लागत से चबूतरों का निर्माण। नगरीय निकायों को 50 प्रतिशत ऋण एवं 50 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान। दुकान एवं चबूतरे नगरीय निकाय द्वारा पात्र हितग्राहियों को निर्धारित न्यूनतम अमानत राशि एवं मासिक किराये पर आबंटन। वर्ष 2018-19 में 250 परियोजनाओं हेतु राशि रु. 106.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्ष 2020-21 में 30 परियोजनाओं हेतु राशि रु. 35.40 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी प्रकार वर्ष 2021-22 में 50 परियोजनाओं हेतु राशि रु. 61.33 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है।

13.3.6 मुख्यमंत्री पालिका बाजार योजना :— विभाग द्वारा नगरीय निकायों की आर्थिक स्थिति सुदृढीकरण हेतु तथा एक स्थान पर नागरिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ

नगर के सुव्यवस्थित विकास तथा रोजगार के संसाधनों में वृद्धि करने के उद्देश्य से कमर्शियल कॉम्पलेक्स के विकास एवं निर्माण हेतु **मुख्यमंत्री पालिका बाजार** योजना प्रारंभ की गई है। इससे नगरीय निकायों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी तथा वे आय अर्जित कर, आर्थिक रूप से सक्षम बनने की दिशा में अग्रसर होंगे।

13.3.7 पौनी पसारी योजना :- प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों के असंगठित क्षेत्र के परंपरागत व्यवसाय करने हेतु इच्छुक व्यक्तियों एवं स्व-सहायता समूह की महिलाओं को कौशल उन्नयन उपरान्त सघन शहरी क्षेत्रों में व्यवसाय हेतु किफायती दैनिक शुल्क पर चबूतरा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। यह योजना छत्तीसगढ़ की प्राचीन परंपरा के अंतर्गत “पौनी-पसारी” व्यवसाय को नवजीवन प्रदान करने में सहायक होगी, जिसमें स्थानीय परंपरागत व्यवसायों जैसे – लोहे से संबंधित कार्यों, मिट्टी के बर्तन, कपड़े धुलाई, जूते चप्पल तैयार करना, लकड़ी से संबंधित कार्य, पशुओं के लिए चारा, सब्जी-भाजी उत्पादन, कपड़ों की बुनाई, सिलाई, कंबल, मूर्तियाँ बनाना, फूलों का व्यवसाय, पूजन सामग्री, बांस का टोकना, सूपा, केशकर्तन, दोना-पत्तल, चटाई तैयार करना तथा आभूषण एवं सौंदर्य सामग्री इत्यादि का व्यवसाय “पौनी-पसारी” व्यवसाय के रूप में रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। योजनांतर्गत प्रति नग 30.00 लाख की पात्रता निर्धारित है। नगरीय निकायों को शत-प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल 108 परियोजनाओं हेतु राशि रु. 2,750.70 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 में अद्यतन 152 परियोजनाओं हेतु राशि रु. 4,506.02 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्ष 2021-22 में 01 परियोजना हेतु राशि रु. 26.35 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2022-23 में 04 परियोजनाओं हेतु रु.107.94 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। अद्यतन 265 परियोजनाओं हेतु राशि रु. 7391.01 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है।

13.3.8 मुख्यमंत्री मितान योजना :- प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में प्रत्येक शासकीय कार्य सुनियोजित तरीके से संचालित हों और राज्य के नागरिकों को बिना किसी व्यावधान के सभी शासकीय योजनाओं का लाभ मिले, इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु बदलते आधुनिक समय के साथ नागरिकों को सरकारी दस्तावेज बनवाने हेतु घर पहुँच सेवा “मुख्यमंत्री मितान योजना” की शुरुआत प्रदेश के समस्त 14 नगर निगमों में की गई है।

मुख्यमंत्री मितान योजना अंतर्गत प्रमाणपत्र, लाइसेंस बनवाने, आधार संबंधित सेवाओं एवं पैन संबंधित सेवाओं हेतु टोल-फ्री नंबर 14545 जारी किया गया है, जो सभी कार्य दिवसों में प्रातः 08:00 बजे से रात्रि 08:00 बजे तक संचालित किया जा रहा है, जिसमें नागरिकों से संबंधित शासकीय सेवा प्राप्त करने हेतु अपॉइंटमेंट लिए जाने एवं सेवा के लिए दस्तावेज संबंधी जानकारी प्रदान की जाती है। अब तक इस योजनांतर्गत 1,77,000 से अधिक लोगों को मितान योजना के माध्यम से घर पर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये गए हैं।

13.3.9 मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना :- मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना सुशासन के दृष्टिकोण से शहरी क्षेत्रों में निवासरत नागरिकों को दैनिक समस्याओं का निराकरण उनके ही वार्ड में मिले एवं निकाय के अधिकारी प्रत्येक वार्ड में नागरिकों से चर्चा कर उनकी समस्याओं का त्वरित निदान करें इस उद्देश्य से वार्ड कार्यालयों का गठन किया गया है। वर्तमान में प्रदेश के 14 नगर निगमों में 101 वार्ड कार्यालय कार्यरत हैं।

13.3.10 श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना :- आम नागरिकों को उच्च गुणवत्ता की रियायती दवा उपलब्ध कराने हेतु श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना प्रारंभ की गई है। योजना अंतर्गत राज्य के समस्त 169 नगरीय निकायों में श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर खोले गए हैं। इस हेतु नगरीय निकायों द्वारा लगभग 197 दुकानों का चिन्हाकन किया गया, जिसमें से 197 दुकानें प्रारंभ की जा चुकी हैं। इन दुकानों में 329 जेनेरिक दवाएं, 26 सर्जिकल आइटम आदि उपलब्ध है। शासकीय चिकित्सकों हेतु जेनेरिक दवाई पर्ची पर लिखना अनिवार्य किया गया है।

- दवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु इन दुकानों में देश की ख्यातिप्राप्त कंपनियों की जेनेरिक दवाइयाँ उपलब्ध कराने की शर्त रखी गई है। उपलब्ध दवाइयों में सर्दी, खासी, बुखार, ब्लड प्रेशर, इंसुलिन आदि सम्मिलित रहेगी साथ ही साथ गंभीर बीमारियों की दवा, एंटीबायोटिक, सर्जिकल आइटम भी न्यूनतम 50 प्रतिशत की भारी छूट के साथ उपलब्ध हैं।
- राज्य शासन द्वारा श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर संचालक को आकर्षक दर 2 रु प्रति वर्गफुट की दर से नगर पालिक निगम द्वारा किराये पर दुकानें उपलब्ध कराई है साथ ही अन्य योजनाओं में इन मेडिकल स्टोर्स से दवाई खरीदने हेतु प्रावधान किया गया है।

- 15 दिसंबर 2023 तक निकायों द्वारा राशि रु. 274.17 करोड़ एमआरपी की दवाइयाँ राशि रु.104.07 करोड़ में विक्रय से 94.6 लाख नागरिकों को राशि रु.170.10 करोड़ की बचत का लाभ दिया गया है।

13.3.11 भागीरथी नल-जल योजना :- राज्य के लगभग 5.00 लाख परिवार विभिन्न नगरीय क्षेत्रों में स्थित तंग बस्तियों में निवासरत है। पेयजल जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित गरीब परिवारों को निःशुल्क नल संयोजन प्रदान किये जाने हेतु भागीरथी नल जल योजना लागू की गई है। प्रति आवासीय इकाई में नल संयोजन हेतु रु. 3000.00 का प्रावधान। नगरीय निकायों को शत-प्रतिशत अनुदान।

13.3.12 मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना :- शहरी क्षेत्र में निवासरत नागरिकों को उनके चौखट पर ही स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 01 नवम्बर 2020 से मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना प्रारंभ की गई। प्रथम चरण में सभी 14 नगर निगमों में 60 मोबाइल मेडिकल यूनिट एंबुलेंस के जरिए डॉक्टर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

- इस योजना में आम नागरिकों को मोबाइल मेडिकल यूनिट द्वारा मेडिकल कैंप के माध्यम से मुफ्त में परामर्श, उपचार, दवाइयां एवं दैनंदिन होने वाले टेस्ट की सुविधा प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री दाई दीदी क्लीनिक भी इसी योजना की कड़ी है। इसमें संपूर्ण महिला स्टाफ के साथ एमएमयू गरीब बस्तियों की महिलाओं के इलाज हेतु उनकी बस्तियों में जा रही है। द्वितीय चरण में नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों हेतु 60 मोबाइल मेडिकल यूनिट का संचालन 31 मार्च 2022 से प्रारंभ किया गया है।
- अब 120 मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से झुग्गी बस्तियों में ही न्यूनतम एमबीबीएस स्तर के डॉक्टर द्वारा निःशुल्क परामर्श, इलाज, दवाइयों एवं पैथोलॉजी लैब की सुविधा समस्त नगरीय निकायों में उपलब्ध है।
- 15 दिसंबर 2023 तक 85,558 से अधिक शिविर आयोजित किये जा चुके हैं, जिनमें 65.56 लाख से अधिक मरीजों का इलाज किया गया है। 57.02 लाख मरीजों को मुफ्त दवा वितरित की गई है तथा 17.71 लाख मरीजों को मुफ्त लैब टेस्ट का लाभ मिला है।

- मुख्यमंत्री दाई दीदी क्लीनिक के तहत महिला स्पेशल एमएमयू में महिला विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा 2.55 लाख से अधिक महिला मरीजों का उपचार किया गया है।

दाई दीदी क्लीनिक :- मुख्यमंत्री दाई दीदी क्लीनिक भी इसी योजना की कड़ी है, इसमें संपूर्ण महिला स्टाफ के साथ एमएमयू के डॉक्टर गरीब बस्तियों की महिलाओं के इलाज हेतु उनके घरों तक जा रहे हैं। समर्पित महिला स्टाफ के माध्यम से महिला श्रमिकों एवं बच्चियों को निःशुल्क उपचार एवं परामर्श दिया गया है। देश की पहली महिला स्पेशल क्लीनिक। अब तक 3438 से अधिक शिविर का आयोजित किये जा चुके हैं तथा 2.55 लाख से अधिक महिला मरीजों का इलाज किया गया है।

विभाग द्वारा संचालित केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं:-

13.4 स्मार्ट सिटी मिशन :- भारत सरकार द्वारा देश में कुल 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने हेतु मिशन स्मार्ट सिटी प्रारंभ किया गया है, जिसमें प्रदेश के 03 शहरों रायपुर, बिलासपुर एवं नवा रायपुर अटल नगर को सम्मिलित किया गया है।

- मिशन स्मार्ट सिटी के अंतर्गत शहरों के विकास के लिए स्मार्ट सिटी प्लान भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है। उक्त प्लान के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर सुनियोजित विकास सुनिश्चित करने हेतु पेयजल, विद्युत की 24 घण्टे उपलब्धता तथा मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु बिजली की खपत में कमी लाने हेतु एलईडी लाइट, अण्डरग्राउण्ड विद्युत वितरण प्रणाली, ऐतिहासिक महत्व के स्थलों का विकास, अत्याधुनिक पार्कों एवं ग्रीन स्पेसेस तथा बाजारों के विकास का कार्य प्रस्तावित है।
- रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड अंतर्गत शहर के विकास के लिए राशि रु. 912.00 करोड़ का एससीपी फंड भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है। जिसमें से लगभग रु. 564.00 करोड़ के कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं, इसी प्रकार राशि रु. 348.00 करोड़ के कार्य प्रगति पर है। शहर में प्रदूषण रहित यातायात प्रणाली के विकास एवं संचालन हेतु ई-रिक्शा, सायकल शेयरिंग, ट्रैफिक पुलिस एवं प्रशासन को अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किये जाने के साथ साथ शहरी नागरिकों को दी जाने वाली सार्वजनिक सुविधाओं की समस्त जानकारी एक ही प्लेटफार्म पर उपलब्ध कराने हेतु इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम एवं कंट्रोल सेंटर –“दक्ष” स्थापित

किया गया है। बहुप्रतीक्षित जवाहर बाजार पुनर्विकास (रिडेवलपमेंट) का कार्य पूर्ण कर लोकार्पित किया गया है। मल्टीलेवल पार्किंग, आक्सीजोन, नालंदा परिसर, आनंद समाज लाईब्रेरी, इंडिग्रेटेड कमाण्ड कंट्रोल सेंटर, सिटी कोतवाली थाना, शास्त्री बाजार पुनरोद्धार, आर.डी. तिवारी, बीपी पुजारी स्कूल का उन्नयन, तेलीबांधा, बूढ़ा, खोखो, बंधवा, प्रहलदवा तालाब का पुनरोद्धार आदि प्रमुख कार्य पूर्ण किए गए हैं। शीघ्र ही अन्य बड़ी परियोजनाओं का लाभ भी राजधानीवासियों को मिल सकेगा।

- बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड अंतर्गत शहर के विकास के लिए राशि रु. 924.00 करोड़ का एससीपी फंड भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है। लगभग रु. 384.00 करोड़ के कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं, राशि रु. 540.00 करोड़ के कार्य प्रगति पर हैं। बिलासपुर स्मार्ट सिटी अंतर्गत बिलासपुर शहर में सेंट्रल लाईब्रेरी, इन्क्यूबेशन सेंटर, वर्किंग वूमन हॉस्टल, मिट्टी तेल गली एवं व्यापार विहार में स्मार्ट रोड का कार्य, तारामण्डल तथा जातिया तालाब पुनरोद्धार जैसे कार्य पूर्ण किए गए हैं। प्रमुख परियोजनाएं यथा इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, अरपा रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लाभ भी शीघ्र ही जनता को मिलेगा।
- अटल नगर नवा रायपुर स्मार्ट सिटी अंतर्गत शहर के विकास के लिए राशि रु. 935.00 करोड़ का एससीपी फंड भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है। अटल नगर में कण्ट्रोल एण्ड कमाण्ड सेंटर का संचालन प्रारंभ किया गया है। वर्तमान तक राशि रु. 218.00 करोड़ के कार्य पूर्ण तथा लगभग राशि रु. 717.00 करोड़ के कार्य प्रगति पर है।

13.5 स्वच्छ भारत मिशन :—

स्वच्छ सर्वेक्षण 2023–24

- स्वच्छ भारत हेतु भारत के मान. प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा लाल किले से 2014 में किए गए स्वच्छता आंदोलन के आव्हान के फलस्वरूप पूरे देश और छत्तीसगढ़ राज्य में स्वच्छता की नई लहर प्रारंभ हुई। भारत सरकार, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) योजना अक्टूबर 2014 से

प्रारंभ की गई, जिसके तहत छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अभिनव पहल करते हुए, नगरीय क्षेत्रों में 03 लाख से अधिक निजी शौचालयों का मिशन मोड में निर्माण कराया गया। इसके साथ ही 1750 से अधिक सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया गया तथा रोजाना उत्सर्जित लगभग 1750 टन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के प्रभावी निपटान हेतु राज्य द्वारा समग्र प्रयास किए गए।

- देश के सभी नगरीय क्षेत्रों में स्वच्छता गतिविधियों को बढ़ावा देने तथा परस्पर प्रतिस्पर्धा की भावना को बल देने के उद्देश्य से आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016 में स्वच्छ सर्वेक्षण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह देश की प्रथम स्वच्छता की प्रतियोगिता थी, जिसमें प्रदेश के रायपुर एवं दुर्ग शहर द्वारा भाग लिया गया था। वर्ष 2017 में प्रदेश के 09 नगर निगमों द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण में भाग लिया और 03 शहरों को राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार प्राप्त हुए।
- मिशन क्लीन सिटी योजना के तहत राज्य भर में 28 लाख नीले एवं हरे डस्टबिन का शहरी क्षेत्र के प्रत्येक घर एवं दुकानों में निःशुल्क वितरण किया गया, मिशन क्लीन सिटी योजना अंतर्गत डोर टू डोर कलेक्शन एवं एस.एल.आर.एम सेंटर में कार्य हेतु निकायों में स्थित 9000 से अधिक स्वसहायता समूह की महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर देते हुए कार्य में संलग्न किया गया और आज यह महिलाएं अपने समाज में अपने कार्य और आर्थिक स्थिति में सुधार से एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त कर चुकी हैं।
- राज्य के 167 शहरों में सूखे कचरे के एकत्रीकरण हेतु 379 एस.एल.आर.एम सेंटर एवं गीले कचरे के एकत्रीकरण हेतु 173 कंपोस्ट सेंटर का निर्माण किया गया। प्रदेश भर में 2600 से अधिक ट्राई साईकिल रिक्शा, 1300 ई रिक्शा एवं मिनी टिपर को डोर टू डोर कलेक्शन के कार्य में संलग्न किया गया। मात्र 222 करोड़ की लागत में प्रदेश भर में मिशन क्लीन सिटी योजना का क्रियान्वयन कर देश की सबसे बड़ी डी सेंट्रलाइज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट परियोजना का संचालन किया जा रहा है।

- छत्तीसगढ़ में लागू मिशन क्लीन सिटी योजना का पृथक्कीकरण आधारित सलिड वेस्ट मैनेजमेंट मॉडल संपूर्ण प्रदेश में प्रसिद्ध हुआ है जिसे माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा बेस्ट प्रैक्टिस निरूपित करते हुए अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय बताया है।
- नगर निगम बिलासपुर एवं रायपुर में कचरे से आर.डी.एफ. तैयार करने हेतु संयंत्र स्थापना का कार्य पूर्ण कर कचरे का प्रसंस्करण किया जा रहा है।
- प्रदेश के नगरीय निकायों के इन्ही प्रयासों के फलस्वरूप देश में स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 में छत्तीसगढ़ राज्य को तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ।
- भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019 से स्वच्छता सर्वेक्षण के साथ कचरा मुक्त शहर—गार्बेज फ्री सिटी स्टॉर रेटिंग भी प्रारंभ की गई। इन मूल्यांकन में मुख्यतः निकायों में स्वच्छता हेतु कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की उपलब्धता, व्यवसायिक एवं रहवासी क्षेत्रों में घर-घर में कचरा संग्रहण, कचरे का सुरक्षित एवं वैज्ञानिक तरीके से परिवहन एवं निपटान, निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट अर्थात मलबे के उचित प्रबंधन, खुले में शौच मुक्त शहर हेतु निजी/सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालय निर्माण, वाडों एवं शहरों को शौचमुक्त घोषित किया जाना, निकाय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास, स्वच्छता के प्रति नागरिकों में जनजागरण एवं सूचना, शिक्षा तथा संप्रेषण हेतु होर्डिंग्स, बैनर, वॉल पेंटिंग, स्वच्छताग्रही बनने हेतु आम नागरिकों को प्रेरित करना, स्वच्छता पखवाड़ों के आयोजन आदि, स्वच्छता सर्वेक्षण हेतु नागरिकों द्वारा टेलीफोन, मोबाईल एप, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से फीडबैक हेतु प्रेरित करने सहित विभिन्न मापदण्डों पर शहरों को अंक दिए जाने निर्धारित किये गए थे।
- छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा किए गए प्रयासों से लगातार वर्ष 2019, 2020 एवं 2021 में प्रदेश को देश के स्वच्छतम राज्य होने का दर्जा प्राप्त हुआ एवं वर्ष 2022 में स्वच्छतम राज्य में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ।
- स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में छत्तीसगढ़ के समस्त 169 नगरीय निकायों ने भाग लिया. स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में कुल 72 शहरों ने गार्बेज फ्री सिटी का रेटिंग प्राप्त किया है

जिसमें नवीनतम 52 शहर एवं पूर्व में 20 शहर को स्टार रेटिंग का दर्जा प्राप्त हुआ है। इस वर्ष छत्तीसगढ़ के 2 शहर रायपुर और पाटन को गार्बेज फ्री सिटी रेटिंग में 5 स्टार का दर्जा प्राप्त हुआ है एवं बिलासपुर, राजनांदगांव, अंबिकापुर को 3 स्टार रेटिंग प्राप्त हुआ है साथ ही 47 शहर को 1 स्टार रेटिंग का दर्जा प्राप्त हुआ है विगत वर्ष में 20 निकाय का 3 स्टार रेटिंग का प्रमाणीकरण मान्य है इस तरह स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में छत्तीसगढ़ के 2 शहर को 5 स्टार व 23 शहर को 3 स्टार एवं 47 शहर को 1 स्टार रेटिंग प्राप्त हुआ है।

- स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 अवॉर्ड के लिए छत्तीसगढ़ के 5 शहर रायपुर, पाटन, कुम्हारी, आरंग, महासमुंद को पुरस्कृत किया गया।
- उल्लेखनीय है कि राज्य एवं पाटन को माननीय राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत किया गया।
- स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में पाटन नगर पंचायत को राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत किया गया है। पाटन की ओर से पुरस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, श्री भूपेंद्र कश्यप, अध्यक्ष नगर पंचायत, श्री योगेश उपाध्याय, सी एम ओ, श्रीमति सूर्य किरण अग्रवाल, ए सी ओ, सूडा एवम श्रीमती निर्मला मधुकर, स्वच्छता दीदी ने पुरस्कार ग्रहण किया।

ODF++ में छत्तीसगढ़ के 169 निकायों में से 164 निकायों को ODF++ का दर्जा और 1 निकाय को ODF+ व 3 निकाय को ODF सर्टिफिकेट का दर्जा प्राप्त हुआ है।

- नगर पालिक निगम रायपुर को Water+ एवं 5 स्टार का दर्जा प्राप्त हुआ है।

तालिका क्र. 13.5 स्वच्छ सर्वेक्षण 2023-24 में पुरस्कृत	
राज्य	सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान
पाटन	एक लाख से कम आबादी वाले छत्तीसगढ़ के स्वच्छ शहरों में द्वितीय
रायपुर	एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में स्वच्छता के लिए रायपुर को मिले पाँच स्टार देश में 12वां स्थान
आरंग	15 हजार से 25 हजार के बीच आबादी वाले स्वच्छ शहरों की श्रेणी में आरंग पुरस्कृत
महासमुंद	50 हजार से 1 लाख वाले स्वच्छ शहरों की श्रेणी में महासमुंद पुरस्कृत
कुम्हारी	25 हजार से 50 हजार की आबादी वाले स्वच्छ शहरों की श्रेणी में कुम्हारी पुरस्कृत

13.6 मिशन क्लीन सिटी :- भारत सरकार द्वारा लागू स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत समस्त नगरीय निकायों में वैज्ञानिक रीति से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए, प्रदेश के नगर निगम अंबिकापुर द्वारा विकसित ठोस पुनर्चक्रीकरण योग्य कचरे के पृथक्कीकरण की अवधारणा पर आधारित मॉडल पर 169 नगरीय निकायों में मिशन क्लीन सिटी योजना लागू की गई है।

उक्त योजनांतर्गत प्रतिदिन लगभग 1,650 टन उत्सर्जित अपशिष्ट का वैज्ञानिक रीति से निपटान किया जा रहा है। योजना में स्थानीय स्वसहायता समूहों द्वारा, डोर टू डोर कलेक्शन, एसएलआरएम सेन्टर का संचालन-संधारण, आर्गेनिक कचरे की कम्पोस्टिंग की जा रही है। अंतिम शेष अपशिष्ट के लिए लैण्डफिल निर्माण किया गया है। एसएलआरएम सेन्टर्स तथा कम्पोस्टिंग शेड, आवश्यक वाहन, उपकरण तथा आनुषांगिक सामग्री क्रय हेतु शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता नगरीय निकायों को प्रदान की गई है। उक्त योजना के क्रियान्वयन से नगरीय निकायों में स्वच्छता का वातावरण निर्मित हुआ है तथा महिला स्वसहायता समूहों की लगभग 9,000 महिलाओं के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार के नवीन अवसर सृजित हुए हैं। छत्तीसगढ़ में लागू मिशन क्लीन सिटी योजना का पृथक्कीकरण आधारित सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट माडल संपूर्ण प्रदेश में प्रसिद्ध हुआ है जिसे माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा बेस्ट प्रैक्टिस निरूपित करते हुए अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय बताया है। नगर निगम बिलासपुर एवं रायपुर में कचरे से आर.डी.एफ. तैयार करने हेतु संयंत्र स्थापना का कार्य पूर्ण कर कचरे का प्रसंस्करण किया जा रहा है।

13.7 सुविधा-24 योजना :- स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत यथा संभव समस्त परिवारों को निजी शौचालय उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है, किन्तु तालाब की पार, अथवा निकाय की योजना से प्रभावित होने पर अपवाद-स्वरूप अंतिम विकल्प के रूप में सामुदायिक, सामुदायिक सह सार्वजनिक शौचालय के निर्माण हेतु योजना “सुविधा-24” लागू की गई है। योजना अंतर्गत प्रति सीट औसत लागत राशि रु. 1,40,000 है, जिसमें भारत सरकार का अंशदान राशि रु. 39200, राज्यांश की राशि रु. 13,067.00 एवं शेष राशि अतिरिक्त राज्यांश के रूप में राज्य शासन से अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जाती है।

योजना के अंतर्गत जर्जर/अनुपयोगी सामुदायिक शौचालयों को तोड़कर नवीन शौचालयों के निर्माण तथा सभी वर्गों महिलाओं, पुरुषों, बच्चों तथा दिव्यांगों के लिए उनकी

आवश्यकता के अनुसार आवश्यक प्रावधान किया गया है। महिला शौचालय में सेनेटरी नेपकिन इनसिनेरेटर तथा रात्रि में शौचालय बन्द होने पर चौबीस घण्टे एक महिला एवं एक पुरुष सीट प्रारंभ रखने की विशेष व्यवस्था की गई है। नगरीय निकायों में एकरूपता के प्रयोजन से विभिन्न सीटों की संख्या के शौचालयों के मानक डिजाईन एवं प्राक्कलन उपलब्ध कराये गए हैं। अद्यतन कुल 17,796 सीट में से 17,446 सीटों का निर्माण पूर्ण एवं 350 का कार्य प्रगति पर है।

13.8 स्वच्छता श्रृंगार योजना :- प्रदेश के नगरीय निकायों में सामुदायिक शौचालयों के संचालन एवं संधारण हेतु **स्वच्छता श्रृंगार योजना लागू की गई।** योजनांतर्गत शौचालयों के संचालन एवं रखरखाव (लघु टूटफूट) के लिए निकायों को शत प्रतिशत मासिक अनुदान— सामुदायिक शौचालय (20 सीटर) राशि रु.15,000, सामुदायिक शौचालय 20 सीटर से अधिक राशि रु. 18,000 तथा सामुदायिक शौचालय (जिसमें केयर टेकर न हो) हेतु राशि रु.1,200 प्रतिसीट प्रतिमाह किंतु अधिकतम राशि रु. 15,000 उपलब्ध कराई जाती है।

योजनांतर्गत शौचालयों में उपलब्ध कराने हेतु अनिवार्य सुविधाएं— सामुदायिक शौचालय में शौचालय, मूत्रालय तथा स्नानागार इत्यादि समस्त सुविधाएं निःशुल्क, केयर टेकर, प्रतिदिन न्यूनतम 02 बार एवं आवश्यकतानुसार सफाई, साबुन, साबुनदानी, एयर फ्रेशनर, फ्लोर वाईपर, आईना, नीले/हरे डस्टबीन, पेपर नेपकीन, फिनाईल, झाड़ू, ब्रश, प्रकाश हेतु एलईडी लाईट, सभी दरवाजों की कुण्डी आदि की व्यवस्था। साथ ही सेनेटरी पैड वेडिंग मशीन (पे-एण्ड यूज के आधार पर), अनिवार्यतः ऊर्जा दक्ष विद्युत उपकरण (एलईडी लाईट) का उपयोग, नागरिक प्रतिक्रिया प्रणाली (आईसीटी फिडबैक सिस्टम), नागरिक प्रतिक्रिया प्रणाली, निदान 1100, स्वच्छता ऐप के माध्यम से दर्ज की जाने वाली शौचालयों से संबंधित शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था की गई है।

13.9 मिशन अमृत (अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन) —

अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) में जनगणना 2011 के अनुसार 01 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश के 09 नगरीय निकाय रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, अंबिकापुर, जगदलपुर, रायगढ़ एवं कोरबा सम्मिलित हैं। मिशन के प्रमुख घटक जल प्रदाय, सीवरेज/सेप्टेज मैनेजमेंट तथा उद्यान विकास है। मिशन अवधि

(वर्ष 2015–2023) हेतु राशि रु. 2,236.00 करोड़ की कार्य योजना भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है, जिसमें राशि रु. 1,804.00 करोड़ की लागत से जल प्रदाय परियोजनाएं, राशि रु. 399.00 करोड़ से सेप्टेज मैनेजमेंट तथा राशि रु. 33.00 करोड़ से उद्यान विकास कार्य प्रस्तावित है।

मिशन का मुख्य उद्देश्य समस्त आवासों में निजी नल कनेक्शन के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना है। मिशन अंतर्गत कुल 3,19,209 नग निजी नल कनेक्शनों में से 2,67,953 निजी नल कनेक्शन अद्यतन प्रदाय किये जा चुके हैं। मिशन अंतर्गत कुल 09 नग जल शोधन संयंत्र का निर्माण कराया जाना था, जिसमें से अद्यतन 08 नग जल शोधन संयंत्र का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है तथा 77 नग उच्च स्तरीय जलागारों में 74 नग उच्च स्तरीय जलागारों का निर्माण कार्य पूर्ण कर, जल आपूर्ति की जा रही है। मिशन अंतर्गत कुल 76 नग उद्यान का निर्माण कार्य किया जाना था जिसमें से अद्यतन कुल 75 नग उद्यान का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

इसके अतिरिक्त मिशन अंतर्गत सीवरेज/सेप्टेज घटक अंतर्गत कुल 07 नग एसटीपी (कुल क्षमता 263.20) एमएलडी का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

13.10 प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) – छत्तीसगढ़ संक्षिप्त जानकारी :-

शहरी आवासहीन गरीब परिवार एवं अल्प आय वर्ग (3.00 लाख रु. से कम) के हितग्राहियों (पति, पत्नी एवं अविवाहित संतान) जिनका देश में कहीं भी पक्का आवास नहीं है एवं दिनांक 31.08.2015 से पूर्व निकाय क्षेत्रांतर्गत निवासरत हैं, ऐसे पात्र हितग्राहियों को पक्का आवास प्रदान किया जाना है।

13.10.1 योजना के घटक :-

- मोर जमीन मोर मकान (BLC) :- मिशन के घटक अन्तर्गत हितग्राहियों द्वारा स्वयं की उपलब्ध भूमि पर आवास निर्माण/विस्तार किया जाना है। इस घटक अंतर्गत समस्त नगरीय निकायों में अधिकतम 30 वर्ग मीटर, कारपेट एरिया में, व्यक्तिगत आवास निर्माण हेतु 04 किस्तों में राशि रु. 2.29 लाख की सब्सिडी प्रदान की जाती है। योजना अन्तर्गत अद्यतन 2,24,310 आवास स्वीकृत हैं, जिसमें से 1,31,558 आवास पूर्ण एवं 70,260 आवास प्रगतिरत हैं।

- मोर मकान मोर चिन्हारी (AHP) :- स्लम के हितग्राहियों के व्यवस्थापन हेतु शासन द्वारा बहुमंजिले ईमारतों में मूलभूत सुविधाओं के साथ 30 वर्गमीटर क्षेत्रफल के फ्लैट्स निर्मित किये जाते हैं, जिसमें शासन द्वारा कुल राशि रु. 4.00 लाख अनुदान के रूप में प्रदान किया जाता है। हितग्राहियों को राशि रु. 75000 में यह आवास उपलब्ध कराये जाते हैं। योजना अन्तर्गत अद्यतन 40,503 आवास स्वीकृत हैं, जिसमें से 16,185 आवास पूर्ण एवं 21,887 आवास प्रगतिरत् हैं।
- मोर मकान-मोर आस (AHP) :- मोर मकान-मोर चिन्हारी (एएचपी) घटक अन्तर्गत स्लम में निवासरत् पात्र हितग्राहियों के व्यवस्थापन उपरान्त शेष आवासों को स्लम/गैर स्लम में किराये से निवासरत् पात्र परिवारों को आबंटित किया जाना प्रावधानित है।

उपलब्धियाँ :-

- छत्तीसगढ़ राज्य को मोर जमीन-मोर मकान घटक अंतर्गत **बेस्ट कन्वर्जेंस विथ अदर मिशन** की श्रेणी में उत्तम प्रदर्शन करने हेतु पुरस्कृत किया गया है।
- राजनांदगांव में बीएलसी घटक अन्तर्गत **"आशा चढ़ी परवान"** योजना में उत्कृष्ट कार्य हेतु हुड्को द्वारा प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया गया।
- छत्तीसगढ़ राज्य को **Indian Urban Housing Conclave (IUHC), 2022** में **"बेस्ट कम्युनिटी ओरिएन्टेड प्रोजेक्ट्स"** की श्रेणी में उत्कृष्ट प्रदर्शन का पुरस्कार प्रदान किया गया।
- नगर पंचायत पाटन को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के मोर जमीन मोर मकान घटक अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य हेतु **Indian Urban Housing Conclave (IUHC), 2022** में **"बेस्ट परफॉर्मिंग नगर पंचायत"** की श्रेणी में पूरे भारत में तृतीय स्थान प्राप्त हुआ।

13.11 डे-एनयूएलएम – राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन :- दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन :- भारत सरकार, छत्तीसगढ़ शासन एवं नगरीय निकायों के संयुक्त प्रयासों से शहरी गरीबों के उत्थान के लिए “ दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन ” का संचालन किया जा रहा है। यह मिशन क्षमता

संवर्धन, कौशल उन्नमुखी, स्व-रोजगार, सामाजिक सुरक्षा तथा महिला समूहों का संस्थागत विकास के द्वारा शहरी गरीबों को रोजगार उपलब्ध के लिये प्रतिबद्ध है। शहरी बेघरों को आवश्यक सेवाओं सहित आश्रय उपलब्ध कराना तथा शहरी पथ विक्रेताओं की समस्याओं का निदान कर, समुचित स्थानों पर वेन्डिंग जोन विकसित किया जाना है। वर्तमान में सभी 170 निकायों में मिशन लागू है।

डे – एनयुएलएम – प्रमुख घटक

सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास –

- छोटी-छोटी बचत आदतों एवं महिला सशक्तिकरण की दिशा में 10 से 20 शहरी गरीब महिलाओं को जोड़ कर महिला स्व-सहायता समूह का गठन तथा 10 हजार रुपये आवर्ती निधि सहित पंचसूत्र जैसे – नियमित बैठक, बचत, लेखा संधारण, ऋण आदान-प्रदान एवं अदायगी का पालन करने वाले महिला समूहों को बैंक लिंकेज के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है स्वयं-सहायता समूहों (एसएचजी) को आवर्ती निधि के रूप में 10,000/- रुपये प्रति स्वयं-सहायता समूह (एसएचजी) तथा 50,000/- रुपये प्रति पंजीकृत एरियालेबल फेडरेशन (एएलएफ) को दिये जाने का प्रावधान है, जिससे स्वयं सहायता समूह एवं एरिया लेबल फेडरेशन (एएलएफ) अपने कार्यकलापों को संचालित कर सकें।
- दिव्यांग, रिक्शाचालक, रैगपिकर्स, वेंडर्स इत्यादि 5 पुरुषों को जोड़कर भी समूह गठन किया जा सकता है, परन्तु ऐसे समूहों को आवर्ती निधि/अतिरिक्त ब्याज अनुदान देय नहीं होगा, शेष योजना से संबंधित लाभ दिया जा सकता है।

स्व-रोजगार कार्यक्रम-

- स्व रोजगार हेतु वित्तीय सहायता तथा केन्द्र/शासन द्वारा योजनांतर्गत ब्याज अनुदान, बैंकों के माध्यम से हितग्राहियों को उपलब्ध कराया जाना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है, इसमें व्यक्तिगत ऋण अधिकतम 2.00 लाख, समूह ऋण अधिकतम 10.00 लाख तथा समूहों की महिलाओं की बचत राशि के 1-4 अनुपात में बैंक लिंकेज के माध्यम से शहरी गरीबों को स्व रोजगार से जोड़ा जा रहा है।

- ऋण पर बैंकों द्वारा प्रचलित ब्याज दर की जगह मात्र 7 प्रतिशत ब्याज दर देय होगी तथा शेष ब्याज का वहन योजनांतर्गत ब्याज अनुदान के रूप में किया जाएगा।
- महिला स्व सहायता समूहों को बैंक लिंकेज ऋण के समय पर ऋण अदायगी पर अतिरिक्त 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जायेगा।

शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता—

- इस घटक में पथ विक्रेताओं का उन्हें सामाजिक सुरक्षा, कौशल उन्नयन, कार्यशाला, बैंक लिंकेज एवं ऋण सुविधा, पहचान-पत्र, विक्रेता हेतु सुनिश्चित स्थान आदि सुविधाओं से लाभान्वित किया जाएगा।
- निकायों में नॉन वेंडिंग जोन, वेंडिंग जोन एवं प्रतिबंधित जोन की पहचान एवं जोनों के वर्गीकरण से आधार पर शहरी पथ विक्रेताओं को व्यवसाय किये जाने हेतु वेंडिंग प्लान निर्माण एवं बाजार विकास।

शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजना—

- इस घटक के अंतर्गत सामुदायिक आश्रय भवन का निर्माण कर गरीबों लोगों के 50—100 व्यक्तियों के लिए रहने का स्थान एवं मूलभूत सुविधायें (किचन, पानी, शौचालय, बिजली, मनोरंजन आदि) उपलब्ध करायी जायेगी। ऐसे आश्रय भवन सभी मिशन नगरों में रेल्वे स्टेशन, अस्पताल, बस स्टैण्ड, मण्डी आदि के समीप निर्मित किया जाएगा। इन भवनों एवं सुविधाओं का संचालन एवं प्रबंधन, इस कार्य हेतु गठित प्रबंधन समिति / पूर्ण कालिक कर्मचारियों/अन्य के द्वारा किया जाएगा।

क्षमता संवर्धन एवं प्रशिक्षण—पदस्थ मिशन प्रबंधकों, सामुदायिक संगठक एवं अन्य के क्षमता वर्धन के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण आयोजित किये जाते हैं।

हितग्राही चयन का आधार —दीनदयाल अंत्योदय योजनाराष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का प्राथमिक लक्ष्य शहरी गरीब वर्ग (Urban Poor) है। शहरी गरीब वर्ग के पहचान हेतु वर्तमान में पूर्व से प्रचलित सर्वेक्षण के आधार पर गरीबी रेखा से नीचे निवासरत लोगों

को मिशन की गतिविधियों से जोड़ा है। 25 प्रतिशत अन्य समकक्ष, वंचित वर्ग जैसे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, महिलाएँ, अल्पसंख्यक, विकलांग इत्यादि को भी मिशन के योजनाओं का लाभ दिया जा सकता है। योजना में महिला 30 प्रतिशत, अल्पसंख्यक 15 प्रतिशत, विकलांग 3 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति/जाति का आरक्षण एवं शहरी में निवासरत् अनुसूचित जनजाति/जाति के प्रतिशत के आधार पर आरक्षण दिये हैं।

तालिका 13.5 दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन वित्तीय वर्ष 2022-23 घटकवार उपलब्धि		
क्र.	घटक	उप घटक
1	समाजिक गतिशीलता व संस्थागत विकास (Social Mobilization & Institution Development)	- स्वयं सहायता समूह का गठन- 1690, प्रतिसमूह 10-20 सदस्य कुल सदस्य - 16880 - स्वयं सहायता समूह हेतु आवर्तीनिधि - 596 कुल राशि 59.60 लाख अनुदान - एरिया लेवल फेडरेशन का गठन- 36 - एरिया लेवल फेडरेशन हेतु आवर्तीनिधि - 12, कुल राशि 6.00 लाख का अनुदान
2	क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण (Capacity Building & Training)	विशेषज्ञों के नियुक्ति राज्य स्तर - 6/ शहर स्तर पर - 73, सामुदायिक संगठक - 208, सहायक कर्मचारी 53
3	स्व-रोजगार कार्यक्रम (Self Employment programme)	- व्यक्तिगत ऋण प्रकरण- 1349 बैंकों से राशि 1461.90 लाख का ऋण - समूह ऋण प्रकरण- 187 समूहों को बैंकों से राशि 353.30 लाख का ऋण - स्वयं सहायता समूहों हेतु बैंकलिंगेज अंतर्गत ऋण - 1515 समूहों को बैंकों से राशि 3521.45 लाख का ऋण - योजनांतर्गत ब्याज अनुदान- 36.77 लाख
4	शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता (Support to Street Vendors)	- पथ विक्रेताओं के चिन्हांकन हेतु सर्वे 56 निकायों में पूर्ण, - पथ विक्रेताओं के चिन्हांकन- 33349 109 निकायों में पथविक्रेताओं के सर्वेक्षण का कार्य प्रगतिपर।
5	शहरी बेघरों के लिए आश्रय की (Shelter for Urban Homeless)	- संचालित आश्रय स्थलों की संख्या -47 - आश्रय स्थलों का निर्माणधीन - 1, - पूर्ण निर्मित असंचालित आश्रय स्थलों की संख्या- 1, - निविदा प्रक्रियाधीन आश्रय स्थल -2

